रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234] नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 1994/वैशाख 19, 1916
No. 234] NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 1994/VAISAKHA 19, 1916

वाणिज्य मंत्रालय

अधिसूचना सं. 40/(आर ई)/92-97

नई दिल्ली, 9 मई, 1994

विषय : निर्यात आयात नीति 1992-97 के पैरा 121(घ) के अन्तर्गत अधिसूचित निर्यात लाभों के लिए अन्तर्वर्ती व्यवस्था।

का.आ. 365(अ).—निर्यात आयात नीति 1992-97 के पूर्व संशोधित संस्करण (मार्च, 1993) के पैरा 121(घ) की ओर ध्यान दिलाया जाता है जो 1992-97 की उक्त नीति के संशोधित संस्करण (मार्च, 1994) में से हटा दिया गया है।

2 पहले से की गई संविदाओं के लिए अन्तर्वर्ती प्रावधानों के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। दी गई भूमिका और संविदाओं की वृहद् प्रकृति और चूंकि वास्तव

में तेल उत्पादन राष्ट्रीय प्राथमिकता है निम्नलिखित अन्तर्वर्ती व्यवस्था अधिसूचित की जाती है :—

अन्तर्वर्ती व्यवस्थाएं :

(1) उन सभी मामलों में जहां ओ एल जी सी/ओ आईएल/जी ए आई एल द्वारा 29 मार्च, 1994 को या इससे पहले आशय पत्र (एल ओ आई) जारी किये गये हैं वे पूर्व संशोधित (मार्च, 1993) नीति के पैरा 121(घ) और 122 में प्रतिपादित अभिगृहीत निर्यात लाभों के लिए पात्र होंगे,

(2) संविदाओं का पंजीकरण अनिवार्य नहीं होगा लेकिन ओ एन जी सी/ओआईएल/ जी ए आई एल प्रत्येक मामले में यह प्रमाणित करेगी कि आशय पत्र 29 मार्च, 1994 को या इससे पहले जारी किया गया था,

(3) जिन मामलों में आशय पत्र 29-3-94 को या इससे पहले जारी किये गये हैं के संबंध लाइसेंस हेतु आवेदन महानिदेशक विदेश व्यापार कार्यालय के संबंधित कार्यालय में 30-11-94 या इससे पहले दर्ज करा लिये जायें। शुल्क वापसी और टर्मिनल उत्पाद शुल्क की वापसी के अन्य लाभों के लिये 29 मार्च, 1994 को लागू नीति की सामान्य प्रक्रिया के अनुसार दावा किया जा सकता है, और

(4) जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है अभिगृहीत निर्यात नीति के अन्तर्गत लाभ तब तक की उपलब्ध होंगे जब तक आपूर्तियां मूल रूप से निर्धारित डिलीवरी के लिए गी गई संविदा की तारीख तक प्रभावित होती हो न कि उसके बाद किसी बढ़ाई गई अवधि के लिए।

3. उपर्युक्त अन्तर्वर्ती व्यवस्था एक्जिम नीति 1992–97 के पैरा 56 (4) के पूर्व संशोधित संस्करण (मार्च, 1993) में यथा उपलब्ध शून्य मुक्त योजना (अध्याय-7) के अन्तर्गत विशेष अग्रदाय लाइसेंसों पर विचार करने या जारी करने हेतु भी लागू होगी।

4. उपर्युक्त व्यवस्थाओं के लिये आदेश केन्द्रीय सरकार के विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) के धारा 5 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिया जाता है।

5. उसे सार्वजनिक हित में जारी किया जाता है।

[फा. सं. 3/15/94-आईपीसी-2]

डा.पी.एल. संजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE

NOTIFICATION NO. 40|(RE)|92—97

New Delhi, the 9th May, 1994

Subject.—Transitional arrangements for deemed export benefits under para 121(d) of Export & Import Policy, 1992--97,

S.O. 365(E).—Attention is invited to para 121(d) of the pre-revised Edition (March 1993) of the Export & Import Policy, 1992---97 which stands deleted in the Revised Edition (March 1994) of the said Policy, 1992—97.

2. Representations have been received from various quarters requesting for transitional provisions for contracts already entered into. Given the background and the bulk nature of the contracts and in fact that Oil Production is a National priority, the following transitional arrangement is notified :

Transitional arrangements

(i) All cases where letters of intent (LOI) have been issued by ONGC|OIL|GAIL on or before 29th March, 1994 would be entitled to the deemed export benefits as enunciated in the pre-Revised (March, 1993) Policy under para 121(d) and 122 thereof;

(ii) Registration of contracts will not be necessary, but ONGC|OIL|GAIL will certify in each case that the letter of intent was issued on or before 29th March, 1994;

(iii) Applications for licences in respect of cases where LOIs have been issued on or before 29-3-94 will be filed with the concerned office of the DGPT on or before 30-11-94. The other benefits of duty drawback and refund of terminal excise duty may be claimed as per the normal prececdures of the policy existing as on 29th March, 1994; and

(iv) The benefits under the deemed export policy, as stated above, would be available only so long as supplies have been effected by the contracted date of delivery stipulated originally and not for any extensions thereafter.

3. The above transitional arrangements will also be applicable for consideration or issue of Special Imprest Licences under Duty Exemption Scheme (Chapter VII) as available in the pre-revised Edition (March, 1993) of Exim Policy 1992---97 in para 56(iv) thereof.

4. The above arrangements are ordered by the Central Government in exercise of the powers conferred under section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992).

5. This issues in public interest.

[File No. 3/15/94-IPC-II]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994